

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

26 वैक्सिनेशन सेन्टरों पर आज लगेगी कोरोना वैक्सिन

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सिन

रतलाम 22 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सिनेशन कये जाने हेतु 23 जून बुधवार को 26 वैक्सिनेशन सेन्टरों पर नगर के 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सिन निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होंने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे अपने निकटतम वैक्सिनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सिन लगवाये।

23 जून बुधवार को वार्ड क्रमांक 2 रामकला सभागृह ए लक्ष्मणपुराए 5 गुरु रामदास स्कूल ए वनोबा नगरए 7 कम्युनिटी हाल ए अलकापुरीए 8 संत नामदेव पब्लिक स्कूल ए वनोबा नगरए 10 संधु गुरूद्वारा ए मोहन नगरए 16 काश्यप सभागृह ए सागोद रोडए 19 राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय ए दिनदयाल नगरए 20 सरस्वती स्कूल ए अमृतसागरए 22 मानस भवन ए मोतीनगरए 23 ज्योति कान्वेन्ट स्कूल ए बालाजी नगरए 24 सब्जीफरोश जमातखाना ए सायर चबुतराए 26 संत मीरा स्कूल ए थावरिया बाजारए 27 जमातखाना ए शेरानीपुराए 30 काजीखान मस्जिद ए जावरा रोडए 33 लायसं हाल ए पावर हाउस रोडए 34 रंगोली ए गीता मंदिर रोडए 43 माहेश्वरी धर्मशाला ए कसारा बाजारए 45 जाट धर्मशाला ए सुतारो का वासए 46 आईएमए हाल ए राजेन्द्र नगरए 47 मदरसा तालीमुल कुरआन ए नयापुरा हाट रोडए 48 सूरजहाल ए वेदव्यास कॉलोनीए घटला रेल्वे हास्पिटल (सर्फ रेल्वे कर्मचारी व परिवार)ए इप्का (इप्का के कर्मचारियों के लये)ए डीआरएम आ फस (सैकेण्ड डोज को वशील्ड)ए स्पेशल कैम्प वदेश जाने वालो के लए व पुराना कलेक्टोरेट (सैकेण्ड डोज को वैक्सिन के लए) वैक्सिनेशन सेन्टर पर वैक्सिन लगाई जायेगी।

कोरोना वैक्सीनेशन में रतलाम बनेगा नम्बर-1

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

नगर में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने के दिये निर्देश

रतलाम 22 जून। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर कहा कि इस महाअभियान में सभी एकजुट होकर पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो निश्चित ही रतलाम नगर वैक्सीनेशन में नम्बर वन बनेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि नगर में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करवाये जाने हेतु निगम के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को इस महाअभियान में जुड़कर नागरिकों को वैक्सीनेशन हेतु जागरूक कर वैक्सीनेशन सेंटर पर लाना होगा।

उन्होंने कहा कि यह कार्य मानव हित का होकर पुण्य कार्य है इस लिये सभी अपने-अपने क्षेत्रों व घरों के आसपास वैक्सीनेशन से वंचित नागरिकों को जागरूक करें हमें एक भी नागरिक को वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखना है।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि बुधवार को 26 वैक्सीनेशन सेंटरों पर किये जाने वाले वैक्सीनेशन कार्य की कार्ययोजना तैयार कर लें ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सीनेशन लगाई जा सके।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया प्रचार रथ के माध्यम से पूरे शहर में वैक्सीनेशन का प्रचार किया जाये साथ ही निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से भी वैक्सीनेशन का प्रचार-प्रसार किया जाये इसके अलावा नगर के व भन्ना चौराहेए तिराहे व वैक्सीनेशन सेंटरों को रांगोली से सजाया जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए प्रभारी कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए हकीम शेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए श्री एम.के. जैनए निगम

स चव श्री जसवंत जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए श्री बी.एल. चावरेए उपयंत्री सर्वश्री बी.एल. चौधरीए सुहास पंडतए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए मनीष तिवारीए सद्धार्थ सोनीए ब्रजेश कुशवाहए अनिता ठाकुरए दीक्षा निजामपुरकरए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मन्द्र दोगायाए झोन प्रभारी सर्वश्री करण चौहानए पर्वत हाड़ेए वनय चौहानए वराट मेहरा के अलावा श्री वासुदेव बैरागी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम ने बाढ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये
आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 22 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय

मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-

नालयों का निर्माण करना ए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना ए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना ए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

हैल्पर वकास-गोवर्धन को सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 22 जून। वार्ड क्रमांक 15 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर वकास पता गोवर्धन द्वारा 10 जून से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया गया।

राजीव गांधी सवक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर चल रहा है दीनदयाल रसोई केन्द्र

रतलाम 22 जून। नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सवक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर संचालित दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र भी 18 जून शुक्रवार से पुनः प्रारंभ कया गया है जिसमें हितग्राही 10 रूपये में भोजन कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है क नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सवक सेन्टर ए त्रिपो लया गेट व डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड पर दीनदयाल रसोई केन्द्र संचालित कये जा रहे थे कन्तु कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर त्रिपो लया गेट व डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्रों को बंद कर दिया गया था सर्फ राजीव गांधी सवक सेन्टर के रसोई केन्द्र को चालू रखा गया था। कोरोना संक्रमण कम होने पर त्रिपो लया गेट के रसोई केन्द्र को नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से अपील की जाती है क वे निर्धारित समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे के मध्य त्रिपो लया गेट दीनदयाल रसोई केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित दर पर भोजन करें।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 22 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 22 जून को 8 दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा बादल शहीद चौकए धर्मन्द्र सिंह राठौरए कमल धानमण्डीए रतन सागर गणेश देवरीए गंगा मठाईए गंगा स्वीट्स बाजना बस स्टैण्डए मांगीलाल व कशोर कुमार त्रिपो लया गेट द्वारा गंदगी करने पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भवष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे है

2180 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 22 जून । आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 22 जून तक वार्डों के कॉमन सर्विस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को 67ए 6 जून को 208ए 7 जून को 155ए 9 जून को 261ए 11 जून को 164ए 12 जून को 84ए 13 जून को 112ए 14 जून को 222ए 15 जून को 284ए 16

जून को 192ए 17 जून को 57ए 18 जून को 104ए 19 जून को 90ए 21 जून को 105 व 22 जून को 75 हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये इस तरह 18 दिनों में 2180 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके हैं।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारीएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडर के दलों का गठन किया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्री उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को पाबंद किया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन कये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लये जावें।

967 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 22 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 22 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 967 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 22 जून को अलकापुरीए सैलाना रोडए स्टेशन रोड आदि क्षेत्रों से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरण हैल्परण वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया क दोनो पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है क वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा

एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/22ण06ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.